शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-8/2017/1447/छप्पन-2016-23/11

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊः दिनॉक : 11 जनवरी, 2017**

विषयः **जनपद वाराणसी के बावतपुर स्थित हवाई अड्डे के विस्तार हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि के वादों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा योजित प्रथम अपील डिफेक्टिव संख्या-214/2012, कलेक्टर, वाराणसी व अन्य-बनाम-दया शंकर सिंह के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 434-37/ना0उ0नि0/2016, दिनांक 19.10.2016 में निम्नवत् अवगत कराया गया है :-

(क) जनपद वाराणसी के बाबतपुर में स्थित हवाई अड्डे के विस्तार हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के विरुद्ध मा0 अपर जिला जज, वाराणसी के न्यायालय में 8 एल0ए0 वाद योजित हुए थे, जिनमें वर्ष 2009 में निर्णय हुआ था। इन निर्णयों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रथम अपील के रूप में 8 अपीलें वर्ष 2012 में योजित की गयी थीं। उक्त 08 अपीलों में से प्रथम अपील डिफेक्टिव संख्या-212/2012 राज्य सरकार व अन्य बनाम शीश नारायण सिंह, प्रथम अपील डिफेक्टिव संख्या-215/2012 राज्य सरकार व अन्य बनाम जगदीश नारायण, प्रथम अपील डिफेक्टिव संख्या-216/2012 राज्य सरकार व अन्य बनाम कौशल कुमार सिंह तथा प्रथम अपील डिफेक्टिव संख्या-217/2012 राज्य सरकार व अन्य बनाम राधे श्याम आदि में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11.10.2013 को अन्तरिम आदेश पारित किये गये। प्रथम अपील डिफेक्टिव सं0-216/2012 कलेक्टर, वाराणसी व अन्य बनाम कौशल कुमार सिंह में पारित आदेश दिनांक 11.10.2013 के मुख्य अंश निम्नवत है :-

"Until further orders of this court, the operation of the impugned order dated 24-08-2009 passed in LAR No.9 of 2003 shall remain stayed provided the appellants deposits the entire amount as decreed by the court below within two months from today. On deposit of the said amount half of it shall be released in favour of claimant respondent and other half shall be invested in a fixed deposit with a nationalized bank.

Office is directed to list First Appeal Defective Nos. 213 of 2012, 214 of 2012, 218 of 2012 and 219 of 2012 also along with this appeal in the next cause list."

--- 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) **मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील संख्या-212/2012, 215/2012, 216/2012 एवं 217/2012 में पारित उक्त आदेश के समादर में जिलाधिकारी, वाराणसी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी से भूमि मूल्य की गणना करायी गयी थी जिसमें उक्त चारों अपीलों में कुल रु0 43,12,559.63 अर्थात् रु0 43,12,560/- डिक्रीटल धनराशि की गणना की गयी थी। शासनादेश संख्या-1744/छप्पन-13-23/11 दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 द्वारा डिक्री की कुल धनराशि रु0 43,12,560/- आहरित कर जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी और उक्त स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा मा0 न्यायालय के आदेशानुसार जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये। उक्त शासनादेश के अनुपालन में भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0), वाराणसी द्वारा पत्र संख्या-754/आठ-विभू0अ0अ0/सं0सं0, वाराणसी दिनांक 11.12.2013 के माध्यम से चारों वादों में डिक्रीटल धनराशि रु0 41,00,318.00 आर0ओ0 सं0-010608 दिनांक 11.12.2013 द्वारा समयान्तर्गत न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-13 वाराणसी के यहाँ जमा की गयी और चारों अपीलों में उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष दाखिल की गयी।**

(ग) **शेष 04 प्रथम अपीलों यथा सं0 213/2012 स्टेट बनाम सुमित्रा देवी, सं0 214/2012 स्टेट बनाम दया शंकर सिंह, सं0 218/2012 स्टेट बनाम रमेश सिंह तथा सं0 219/2012 स्टेट बनाम सचिन्द्र नारायण सिंह में से प्रथम अपील डिफेक्टिव संख्या-214/2012 कलेक्टर, वाराणसी व अन्य बनाम दया शंकर सिंह में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2016 को अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं जिसमें 2 माह के भीतर विपक्षी को भुगतान करने के आदेश दिये गय हैं। आदेश के मुख्य अंश निम्नवत हैं :-**

"Considering the facts and circumstances of the case and the interim order dated 11.10.2013 passed in First Appeal (defective) No. 212 of 2012 Collector, Varanasi and another Vs. Sheesh Narain Singh as an interim measure it is provided that until further orders of this Court, the operation of the impugned judgment dated 26.08.2009 passed in Land Acquisition Reference No. 08 of 2003 shall remain stayed provided the appellant deposit the entire amount as decreed by the Court below within two months from today. On deposit of the said amount, half of if shall be released in favour of claimant-respondent and half shall be invested in an interest bearing fixed deposit in a nationalized bank."

Connect with First Appeal (Defective) No. 212 of 2012."

(घ) **मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश का समादर करते हुए निदेशालय के पत्र संख्याः 2419-20/ना0उ0नि0/2016 दिनांक 22 सितम्बर, 2016 द्वारा नवीनतम गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध जिलाधिकारी, वाराणसी किया गया था, जिसके अनुपालन में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0), वाराणसी से पत्र संख्या- 1352/आठ वि0भू0अ0अ0 (सं0सं0) वाराणसी दिनांक 13.10.2016 के माध्यम से गणना प्रपत्र प्राप्त हुआ है। गणना प्रपत्र के अनुसार डिक्रीटल धनराशि (ब्याज सहित) रु0 17,33,283.38 अर्थात् 17,33,283.00 आगणित की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उक्त धनराशि दो माह में जमा किया जाना है।** **----- 3**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त चारों अपीलों हेतु डिक्री की कुल धनराशि रूपये 17,33,283/- (रूपये सत्रह लाख तैंतीस हजार दो सौ तिरासी मात्र) आहरित कर जिलाधिकारी, वाराणसी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा मा0 न्यायालय के आदेशानुसार जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4- स्वीकृत धनराशि जमा कराने के पश्चात जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन उ0प्र0 को यथासमय सूचित किया जायेगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराषि चालू वित्तीय वर्श 2016-17 के अनुदान संख्या-38 लेखा शीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800- अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण/विस्तार एवं सुदृढ़िकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में दिए गये प्राधिकार के परिप्रेक्ष्य में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव ।

संख्या-8/2017/1447(1)/छप्पन-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वाराणसी।
4- जिलाधिकारी, वाराणसी।
5- अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति, सं0सं0, वाराणसी।
6- मा0 मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।